

एसकेडी एकेडमी गोमती नगर के बच्चों को पाक्सो कानून के प्रति किया गया जागरूक

लखनऊ : 01 अक्टूबर, 2026

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में आज दिनांक 01.10.2026 को एसकेडी एकेडमी स्कूल, गोमती नगर, लखनऊ में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित कर छात्र-छात्राओं को पाक्सो (POCSO-लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) कानून की विस्तृत जानकारी दी गई।

शिविर का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशन में सचिव श्री कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर एसकेडी एकेडमी के प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षिकाएं, वात्सल्य संस्था से डॉ. नीलम सिंह एवं पराविधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

सचिव श्री कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित परिवेश प्रदान करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना है। उन्होंने सरल और सुबोध भाषा में बच्चों को 'गुड टच और बैड टच' के अंतर को समझाया और बताया कि किसी भी अप्रिय या असहज स्थिति में वे बिना किसी डर के अपने माता-पिता, शिक्षकों या सीधे अधिकारियों से शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं।

उन्होंने पाक्सो-2012 के प्रमुख प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं तथा कानून के उल्लंघन पर होने वाले कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चों को कानून की बुनियादी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। कई बार जागरूकता के अभाव में बच्चे शोषण का शिकार हो जाते हैं और डर या संकोच वश बता नहीं पाते। यह अभियान बच्चों के मन से डर दूर कर उनमें आत्मविश्वास जगाने का काम करेगा। शिविर में बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और पाक्सो कानून के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा व सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई।

सचिव ने स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षिकाओं से अपील की कि वे इस संवेदनशील विषय पर बच्चों को जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि एक सुरक्षित और अपराध मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।

सम्पर्क सूत्र- अमरेश कुमार

राघवेन्द्र/05:15 PM